न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00256 (50/2018) 75 एलआरएक्ट
वेदप्रकाश पुत्र नानूराम जाति ब्राम्हण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण } पिसरान रामप्रताप जाति छीम्पा साकिन धोलीपाल
3. इन्द्राज } तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ोपल
5. शाखा प्रबन्धक ओबीसी शाखा धोलीपाल

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.01.2018 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र. सं. 97/2017

श्री मदन लाल पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2

निर्णय दिनांकः– 18.10.2019

1. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 927 रकबा 6.325 है. वर्तमान में वेदप्रकाश पुत्र नानूराम के नाम 3.795 है. एवं कृष्ण, इन्द्राज पि0 रामप्रताप के नाम 2.530 है. खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2050 में उक्त रकबा में से 2.530 है. आराजीराज व शेष रकबा किसी भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटित कर दिया है। आवंटन विधि विरूद्ध है जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायायल में अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र. एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर विचारण न्यायायल ने ग्राम बड़ोपल के ख. नं. 927 रकबा 6.325 है. के आवंटन को निरस्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नं. 327 में सिर्फ 2.530 है. भूमि ही आराजीराज दर्ज नहीं रही अपितु इस खसरा नं. 927 में कुल 25 बीघा अर्थात 6.325 है. भूमि थी व प्रश्नगत भूमि चेतराम को टीसी पर आवंटित हुई थी। अप्रार्थी वेदप्रकाश जो हेमाराम का वारिस होने के कारण यह भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन कर दी गई। इसलिए यह भूमि आराजीराज नहीं थी। आवंटन की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक से ही भूमि पर काबिज चला आ रहा था और काफी पैसा व श्रम खर्च किया है उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। चेतराम लाऔलाद फौत होने पर उनका एकमात्र वारिस सगा भतीजा वेद प्रकाश बतौर टीसी धारक कब्जा काश्त रहा। यदि प्रश्नगत भूमि 10 बीघा ही थी तो इस खसरा की 25 बीघा भूमि किस आधार पर व किन नियमों के अन्तर्गत टीसी पर आवंटित की गई थी। आवंटन नियम 1975 के नियम 7 के अनुसार टी0सी0 लीज होल्डर की सर्वोपरी प्राथमिकता होने के कारण आवंटन अधिकारी ने बाद जांच भूमि को पुख्ता आवंटन किया था। इस भूमि की समस्त राशि जमा करवाने के बाद उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10.02.2006 को अपीलाण्ट को सनद खातेदारी दी थी। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है व ना ही मिथ्या कथन किया गया है। आवंटन के बाद समस्त किश्तें जमा करवाई गई थी। आवंटन के बाद 25 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि पंजीकृत बैयनामे से बेचान की गई है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। इस प्रकरण में नियम 21 के प्रावधान लागू नहीं हाते हैं। आवंटन आदेश विधि विरूद्ध है तो नियम 30 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील करने का प्रावधान है जिसकी मियाद 30 दिन है। इसलिए आवंटन आदेश दिनांक 14.06.2000 अन्तिम हो चुका है। इसमें अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन किस प्रकार विधि विरूद्ध है ये अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाण्ट के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। पूर्व की आवंटन पत्रावली तलब नहीं की गई। यदि खसरा नं. 927 में रेस्पोडेण्ट के कथनानुसार 10 बीघा भूमि ही थी तो शेष भूमि किस खसरा से सम्बन्धित थी यह रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने स्पष्ट नहीं किया है। 15 बीघा भूमि की प्रास्थितिकी स्पष्ट नहीं करना ही अपने आप में संदिग्ध है। प्रस्तुत जमाबंदी में खसरा नं. 927 की 10 बीघा भूमि लिपिकीय भूल से ही दर्ज हो सकती है यह खसरा 10 बीघा का नहीं है बल्कि बहुत बड़ा खसरा है। यदि प्रश्नगत खसरा की भूमि 10 बीघा ही थी तो 25 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। 10 बीघा भूमि सुरजनसिह पुत्र गुलजारसिह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.12.2010 को बेय की गई है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई है। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं अपीलाण्ट को उसके अधिवक्ता से समय पर अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं हो पाया ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 238, 2011 आरआरटी पेज 602, 2018 आरआरटी पेज 299, 2016–17 आरआरटी पेज 507, 304, 242 के न्यायिक दृष्टान्त पेंश किये हैं।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. शेष रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र. स्वीकार किया जाता है एवं अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
9. जहां तक गुणागुवण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 13.10.2017 को पक्षकारान की और से अभिभाषकगण उपस्थित आये हैं एवं जवाब हेतु आईदा पेशी 04.12.2017 मुकर्रर की गई है। इस दिनांक पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने के कारण पत्रावली में पेशी 22.01.2018 निर्धारित की गई। इस दिन कृष्णलाल व इन्द्राज पिसराने रामप्रताप द्वारा जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वेद प्रकाश द्वारा दिनांक 22.01.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी वेद प्रकाश द्वारा जवाब ही दिनांक 23.01.2018 को प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पक्षकारान को बिना जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। वेद प्रकाश ने 10 बीघा भूमि सुरजनसिह पुत्र गुलजारसिह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.12.2010 को बेय की गई है। सुरसजनसिंह पुत्र गुलजारसिह ने यह भूमि 25.05.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलाण्ट कृष्ण लाल को बैय कर दी। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज भी हो चुकी है।
10. प्रकरण में आवंटन आदेश सं0 1363 दिनांक 14.06.2000 में 6.325 है. रकबा आवंटित किया गया था लेकिन जमाबंन्दी सम्वत 2050 के अनुसार 2.530 है. रकबा ही रकबाराज माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आवंटी की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया है केवल रकबे की भिन्नता को प्रश्नचित किया है। यदि प्रार्थी आवंटन का पात्र है और 2.530 है रकबा भूमि रकबाराज है और आवंटन के उपलब्ध है तो 2.530 है. भूमि की हद तक आवंटन यथावत रखते हुए शेष रकबा की हद तक आवंटन खारिज किया जाना चाहिए था। सम्पूर्ण 6.325 है0 भूमि का आवंटन आदेश को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस बिन्दू पर उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि 2.530 है. की हद तक आवंटी की पात्रता और भूमि के रिकार्ड की स्थिति की एवं उपलब्धता के सम्बन्ध में जांच कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि है कि 2.530 है. की हद तक आवंटी की पात्रता और भूमि के रिकार्ड की स्थिति की एवं उपलब्धता के सम्बन्ध में जांच कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 11:22:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: